धारा 74 : [1][वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित] असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन करके या छिपाकर उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण

(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या उसका त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर उसका उपयोग किया गया है तो वह उस कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताओ सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा से कम से कम छह मास पूर्व, जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली अवधियों से भिन्न अवधियों के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील को धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन रहते हुए समझा जाएगा कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली अवधियों से भिन्न अवधियों के लिए उक्त विवरण में अवलंब लिए गए आधार वही हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सिवाय कपट के या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आधार के।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व कर की रकम का उस पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ और कर के स्वःअभिनिश्चय निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चत कर के आधार पर ऐसे कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय कर सकेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार संदत्त किसी कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में सूचना की तामील नहीं करेगा।

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन उस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पांच वर्ष के भीतर, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, कर की रकम का धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

[2][(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे।]

स्पष्टीकरण 1.—इस धारा और धारा 73 के प्रयोजनों के लिए,–

(i) ''उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां'' में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरूद्ध पूरा कर लिया गया है तो [3][धारा 122 और धारा 125] के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

[4][.....]

---

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा उपधारा (12) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा ''धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

4 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा स्पष्टीकरण विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

''**स्टीकरण 2.**—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''छिपाना'' पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना अभिप्रेत होगा, जिसकी किसी कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता भी अभिप्रेत होगी।''

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

उपयुक्त नियमः नियम 142

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी डीआरसी–01, जीएसटी डीआरसी–01क, जीएसटी डीआरसी–01ख, जीएसटी डीआरसी–02, जीएसटी डीआरसी–03, जीएसटी डीआरसी–04, जीएसटी डीआरसी–05, जीएसटी डीआरसी–06, जीएसटी डीआरसी–07, जीएसटी डीआरसी–08